

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 543]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2010—आश्विन 14, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2010

क्र. (16) बी-1-27-2010-2-पांच.—यतः राज्य सरकार, यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में पूर्व प्रकाशन कराए बिना तत्काल किए जाने चाहिए.

अतएव, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खण्ड (घ), (च) और (छ) तथा उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. प्ररूप एफ.एल.-2 में, शर्त (8-क) के पश्चात्, निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(8-ख) (क) स्पिरिट/वाइन तथा माल्ट मदिरा (बीयर) की न्यूनतम मात्रा जो विनिर्दिष्ट एफ.एल.-1 या एफ.एल.-1 क क क क अनुज्ञप्तिधारक से क्रय की जाएगी, निम्नानुसार नियत की जाती है.

विवरण	न्यूनतम मात्रा	
	वार्षिक	त्रैमासिक
(1)	(2)	(3)
स्पिरिट/वाइन (प्रूफ लीटर में)		
माल्ट मदिरा (बीयर) (बल्क लीटर में)		

(ख) जहां अनुज्ञप्तिधारी किसी वर्ष की तिमाही के लिए नियत स्पिरिट/वाइन तथा माल्ट मदिरा (बीयर) की न्यूनतम मात्रा क्रय करने में असफल रहता है वहां कलक्टर कम क्रय की गई स्पिरिट/वाइन की मात्रा पर रुपये 750 प्रति प्रूफ लीटर और बीयर पर रुपये 40 प्रति बल्क लीटर तक की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा:

परन्तु,

(एक) यदि यथास्थिति, वित्तीय वर्ष या अनुज्ञप्ति की कालावधि की समाप्ति पर वर्ष के लिए या अनुज्ञप्ति की कालावधि के लिए नियत स्पिरिट/वाइन तथा माल्ट मदिरा (बीयर) की पूरी न्यूनतम मात्रा क्रय कर ली जाती है तो शास्ति की इस प्रकार वसूल की गई या जमा की गई रकम वापस कर दी जाएगी;

(दो) यदि अनुज्ञप्तिधारी वर्ष के लिए या अनुज्ञप्ति की कालावधि के लिए नियत स्पिरिट/वाइन तथा माल्ट मदिरा (बीयर) की न्यूनतम मात्रा क्रय करने में असफल रहता है, तो कलक्टर स्पिरिट/वाइन तथा माल्ट मदिरा (बीयर) की कम क्रय की गई कुल मात्रा पर उपरोक्तानुसार शास्ति की रकम नियत करेगा तथा यथास्थिति, शास्ति की रकम वसूल करेगा या वापस करेगा."

2. प्ररूप एफ. एल.-3 में, शर्त (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नई शर्त अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(4) (क) स्पिरिट/वाइन तथा माल्ट मदिरा (बीयर) की न्यूनतम मात्रा जो विनिर्दिष्ट एफ. एल.-1 या एफ. एल.-1 क क क क अनुज्ञप्तिधारक से क्रय की जाएगी, निम्नानुसार नियत की जाती है.

विवरण	न्यूनतम मात्रा	
	वार्षिक	त्रैमासिक
(1)	(2)	(3)
स्पिरिट/वाइन (प्रूफ लीटर में)		
माल्ट मदिरा (बीयर) (बल्क लीटर में)		

(ख) जहां अनुज्ञप्तिधारी किसी वर्ष की तिमाही के लिए नियत स्पिरिट/वाइन तथा माल्ट मदिरा (बीयर) की न्यूनतम मात्रा क्रय करने में असफल रहता है वहां कलक्टर कम क्रय की गई स्पिरिट/वाइन की मात्रा पर रुपये 750 प्रति प्रूफ लीटर और बीयर पर रुपये 40 प्रति बल्क लीटर तक की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा:

परन्तु,

(एक) यदि यथास्थिति, वित्तीय वर्ष या अनुज्ञप्ति की कालावधि की समाप्ति पर वर्ष के लिए या अनुज्ञप्ति की कालावधि के लिए नियत स्पिरिट/वाइन तथा माल्ट मदिरा (बीयर) की पूरी न्यूनतम मात्रा क्रय कर ली जाती है तो शास्ति की इस प्रकार वसूल की गई या जमा की गई रकम वापस कर दी जाएगी;

(दो) यदि अनुज्ञप्तिधारी वर्ष के लिए या अनुज्ञप्ति की कालावधि के लिए नियत स्पिरिट/वाइन तथा माल्ट मदिरा (बीयर) की न्यूनतम मात्रा क्रय करने में असफल रहता है, तो कलक्टर स्पिरिट/वाइन तथा माल्ट मदिरा (बीयर) की कम क्रय की गई कुल मात्रा पर उपरोक्तानुसार शास्ति की रकम नियत करेगा तथा यथास्थिति, शास्ति की रकम वसूल करेगा या वापस करेगा."

3. प्ररूप एफ. एल.-3-क में, शर्त (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नई शर्त अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(3-क) (क) स्पिरिट/वाइन तथा माल्ट मदिरा (बीयर) की न्यूनतम मात्रा जो विनिर्दिष्ट एफ. एल.-1 या एफ. एल.-1 क क क क अनुज्ञप्तिधारक से क्रय की जाएगी, निम्नानुसार नियत की जाती है.

विवरण	न्यूनतम मात्रा	
	वार्षिक	त्रैमासिक
(1)	(2)	(3)
स्पिरिट/वाइन (प्रूफ लीटर में)		
माल्ट मदिरा (बीयर) (बल्क लीटर में)		

(ख) जहां अनुज्ञप्तिधारी किसी वर्ष की तिमाही के लिए नियत स्पिरिट/वाइन तथा माल्ट मदिरा (बीयर) की न्यूनतम मात्रा क्रय करने में असफल रहता है वहां कलक्टर कम क्रय की गई स्पिरिट/वाइन की मात्रा पर रुपये 750 प्रति प्रूफ लीटर और बीयर पर रुपये 40 प्रति बल्क लीटर तक की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा:

परन्तु,

(एक) यदि यथास्थिति, वित्तीय वर्ष या अनुज्ञप्ति की कालावधि की समाप्ति पर वर्ष के लिए या अनुज्ञप्ति की कालावधि के लिए नियत स्पिरिट/वाइन तथा माल्ट मदिरा (बीयर) की पूरी न्यूनतम मात्रा क्रय कर ली जाती है तो शास्ति की इस प्रकार वसूल की गई या जमा की गई रकम वापस कर दी जाएगी;

(दो) यदि अनुज्ञप्तिधारी वर्ष के लिए या अनुज्ञप्ति की कालावधि के लिए नियत स्पिरिट/वाइन तथा माल्ट मदिरा (बीयर) की न्यूनतम मात्रा क्रय करने में असफल रहता है, तो कलक्टर स्पिरिट/वाइन तथा माल्ट मदिरा (बीयर) की कम क्रय की गई कुल मात्रा पर उपरोक्तानुसार शास्ति की रकम नियत करेगा तथा यथास्थिति, शास्ति की रकम वसूल करेगा या वापस करेगा.”

4. प्ररूप एफ. एल.-4-क में, शर्त (3) के पश्चात्, निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(3-क) (क) स्पिरिट/वाइन तथा माल्ट मदिरा (बीयर) की न्यूनतम मात्रा जो विनिर्दिष्ट एफ. एल.-1 या एफ. एल.-1 क क क क अनुज्ञप्तिधारक से क्रय की जाएगी, निम्नानुसार नियत की जाती है.

विवरण	न्यूनतम मात्रा	
	वार्षिक	त्रैमासिक
(1)	(2)	(3)
स्पिरिट/वाइन (प्रूफ लीटर में)		
माल्ट मदिरा (बीयर) (बल्क लीटर में)		

(ख) जहां अनुज्ञप्तिधारी किसी वर्ष की तिमाही के लिए नियत स्पिरिट/वाइन तथा माल्ट मदिरा (बीयर) की न्यूनतम मात्रा क्रय करने में असफल रहता है वहां कलक्टर कम क्रय की गई स्पिरिट/वाइन की मात्रा पर रुपये 750 प्रति प्रूफ लीटर और बीयर पर रुपये 40 प्रति बल्क लीटर तक की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा:

परन्तु,

(एक) यदि यथास्थिति, वित्तीय वर्ष या अनुज्ञप्ति की कालावधि की समाप्ति पर वर्ष के लिए या अनुज्ञप्ति की कालावधि के लिए नियत स्पिरिट/वाइन तथा माल्ट मदिरा (बीयर) की पूरी न्यूनतम मात्रा क्रय कर ली जाती है तो शास्ति की इस प्रकार वसूल की गई या जमा की गई रकम वापस कर दी जाएगी.

(दो) यदि अनुज्ञप्तिधारी वर्ष के लिए या अनुज्ञप्ति की कालावधि के लिए नियत स्पिरिट/वाइन तथा माल्ट मदिरा (बीयर) की न्यूनतम मात्रा क्रय करने में असफल रहता है, तो कलक्टर स्पिरिट/वाइन तथा माल्ट मदिरा (बीयर) की कम क्रय की गई कुल मात्रा पर उपरोक्तानुसार शास्ति की रकम नियत करेगा तथा यथास्थिति, शास्ति की रकम वसूल करेगा या वापस करेगा.”.

5. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2010

क्र. (16) बी-1-27-2010-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (16) बी-1-27-2010-2-पांच, दिनांक 6 अक्टूबर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 6th October 2010

No. (16)F-B-1-27-2010-2-V.—WHEREAS the State Government considers it necessary that the following amendments in the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 should be made at once without previous publication in the official Gazette;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (d), (f) and (g) of sub-section (2) and proviso to sub-section (3) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In Form F.L.-2 after condition (8-A), the following condition shall be inserted, namely :—

"(8-B) (a) The minimum quantity of spirit/wine and malt liquor (beer), which shall be purchases from a specified F.L.-1 or F.L.-1 AAAA licensee is fixed as below.

Description (1)	Minimum Quantity	
	Yearly (2)	Quarterly (3)
Spirit/Wine (Proof Litres)		
Malt liquor (Beer) (Bulk Litres)		

(b) Where the licensee fails to purchase the minimum quantity of spirit/wine and malt liquor (beer) fixed for a quarter of the year, the Collector may impose penalty at the rate upto Rs. 750/- for every proof litre of spirit/wine and at the rate upto Rs. 40/- for every bulk litre of beer on the quantity short purchased :

Provided that—

- (i) if at the end of the financial year or period of licence, as the case may be, full minimum quantity of spirit/wine and malt liquor (beer) fixed for the year or period of licence is purchased, the amount of penalty so recovered or deposited shall be refunded;
- (ii) if the licensee fails to purchase the minimum quantity of spirit/wine and malt liquor (beer) fixed for the year or the period of the licence, the Collector shall fix the amount of penalty as above on the total quantity of spirit/wine and malt liquor (beer) short purchased and recover or refund the amount of penalty, as the case may be."

2. In Form F.L.-3, after condition (3), the following new condition shall be inserted, namely :—

"(4) (a) The minimum quantity of spirit/wine and malt liquor (beer), which shall be purchases from a specified F.L.-1 or F.L.-1 AAAA licensee is fixed as below.

Description (1)	Minimum Quantity	
	Yearly (2)	Quarterly (3)
Spirit/Wine (Proof Litres)		
Malt liquor (Beer) (Bulk Litres)		

- (b) Where the licensee fails to purchase the minimum quantity of spirit/wine and malt liquor (beer) fixed for a quarter of the year, the Collector may impose penalty at the rate upto Rs. 750/- for every proof litre of spirit/wine and at the rate upto Rs. 40/- for every bulk litre of beer on the quantity short purchased :

Provided that—

- (i) if at the end of the financial year or period of licence, as the case may be, full minimum quantity of spirit/wine and malt liquor (beer) fixed for the year or period of licence is purchased, the amount of penalty so recovered or deposited shall be refunded;
- (ii) if the licensee fails to purchase the minimum quantity of spirit/wine and malt liquor (beer) fixed for the year or the period of the licence, the Collector shall fix the amount of penalty as above on the total quantity of spirit/wine and malt liquor (beer) short purchased and recover or refund the amount of penalty, as the case may be."

3. In Form F.L.-3-A after condition (3), the following condition shall be inserted, namely :—

"(3-A) (a) The minimum quantity of spirit/wine and malt liquor (beer), which shall be purchase from a specified F.L.-1 or F.L.-1 AAAA licensee is fixed as below.

Description (1)	Minimum Quantity	
	Yearly (2)	Quarterly (3)
Spirit/Wine (Proof Litres)		
Malt liquor (Beer) (Bulk Litres)		

- (b) Where the licensee fails to purchase the minimum quantity of spirit/wine and malt liquor (beer) fixed for a quarter of the year, the Collector may impose penalty at the rate upto Rs. 750/- for every proof litre of spirit/wine and at the rate upto Rs. 40/- for every bulk litre of beer on the quantity short purchased :

Provided that—

- (i) if at the end of the financial year or period of licence, as the case may be, full minimum quantity of spirit/wine and malt liquor (beer) fixed for the year or period of licence is purchased, the amount of penalty so recovered or deposited shall be refunded;
- (ii) if the licensee fails to purchase the minimum quantity of spirit/wine and malt liquor (beer) fixed for the year or the period of the licence, the Collector shall fix the amount of penalty as above on the total quantity of spirit/wine and malt liquor (beer) short purchased and recover or refund the amount of penalty, as the case may be."

4. In Form F.L.-4-A after condition (3), the following condition shall be inserted, namely :—

- "(3-A) (a) The minimum quantity of spirit/wine and malt liquor (beer), which shall be purchase from a specified F.L.-1 or F.L.-1 AAAA licensee is fixed as below.

Description	Minimum Quantity	
	Yearly	Quarterly
(1)	(2)	(3)
Spirit/Wine (Proof Litres)		
Malt liquor (Beer) (Bulk Litres)		

- (b) Where the licensee fails to purchase the minimum quantity of spirit/wine and malt liquor (beer) fixed for a quarter of the year, the Collector may impose penalty at the rate upto Rs. 750/- for every proof litre of spirit/wine and at the rate upto Rs. 40/- for every bulk litre of beer on the quantity short purchased :

Provided that—

- (i) if at the end of the financial year or period of licence, as the case may be, full minimum quantity of spirit/wine and malt liquor (beer) fixed for the year or period of licence is purchased, the amount of penalty so recovered or deposited shall be refunded;
- (ii) if the licensee fails to purchase the minimum quantity of spirit/wine and malt liquor (beer) fixed for the year or the period of the licence, the Collector shall fix the amount of penalty as above on the total quantity of spirit/wine and malt liquor (beer) short purchased and recover or refund the amount of penalty, as the case may be."

2. This amendment shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.